तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25.02.25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। बास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 28/3/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
	28/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई मय आदेश की पालना में दिनांक 30.04.25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
30.04.25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। बास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 2/5/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
	02/05/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई मय आदेश की पालना में दिनांक 20/5/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
20.05.25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० बास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 2/6/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
2/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का कथन है कि भूमि वादग्रस्त खातासं० नया 10 पुराना 10 के ख० न० 1048, 1288, 1289, 170, 182, 339, 407, 480, 954

2000-10 लाख फा.

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

कलेक्टर मुकाम बांकीकुई

....................बनाम....................

....................नं०....................सन्....................

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कुल किता 1 रकबा 2.85 है० जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी की भूमि ख.नं. 154 के सामने भूमि ख.नं. 155 से लगती हुई है। जिस पर प्रार्थी के बुजुर्गों के समय से ही काबिज है। ख.नं. 152 में सिंचाई का साधन है। भूमि ख.नं. 155 सिवाई चक भूमि है, जो प्रार्थी के कब्जे व स्वामित्व की भूमि है। अप्रार्थीगण का कभी भी कोई संबंध उक्त भूमि से नहीं रहा है। सरकार उक्त भूमि ख.नं. 154 मे बाउण्ड्री हेतु पत्थर डाल रहे है, जिन्हें अप्रार्थीगण खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत प्रार्थी के पक्ष में है। (हस्ताक्षर)	

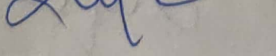

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही प्रथ इनिशियल्स जज

अप्रार्थीगण । लगा॰ 3 के द्वारा निम्न प्रकार जवाब पेश किया गया। प्रार्थी ने वादग्रस्त अराजी ख॰ न॰ 954 तथा ख॰न॰ 953 जिसकी खातेदारी रामस्वरूप पुत्र धन्ना, धारासिंह पुत्र हरिसिंह, हरकेश पुत्र हरिसिंह, हीरा देवी पत्नी हरिसिंह, बाबूलाल पुत्र रामजीलाल के नाम दर्ज है। 50 वर्ष पूर्व मौखिक रूप से अप्रार्थीगण तथा नाथू पुत्र अर्जुन, कैलाश पुत्र रामसिंह, सुरेश पुत्र नाथू के साथ ख॰ न॰ 1428, 1429, 1430 अदला-बदली कर अदल-बदल किये गये थे। तभी से ख॰ न॰ 954 व 953 पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त ख॰ न॰ 954 पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही है। ख॰ न॰ 955 सिवाई चक भूमि है। जिस पर भी प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही है। वादग्रस्त भूमि ख॰ न॰ पर प्रार्थी का विधिक कब्जा नहीं होने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

साईमा फैसाई केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में न होकर विपक्षगण के पक्ष में है। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरणों

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का निस्तारण तीन बिंदुओ के आधार पर किया जाता है।
1. प्राईमा फैसाई केस
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूर्णीय क्षति

1. प्राईमा फैसाई केस - ग्राम रलावता की जमाबंदी खाता संज्या नया 10 पुराना 10 के आधार पर भूमि ख. नं. 1048, 1288, 1289, 170, 182, 339, 401, 480, 954 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। ख. न. 955 सिवायचक भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है। भूमि खाता संज्या नया 10 पुराना 10 के आधार पर वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। खातेदारी भूमि में किसी दीगर व्यक्ति के दखल होने से खातेदार अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवा सकता है। प्राईमा फैसाई केस प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

2. सुविधा का संतुलन, 3- अपूर्णीयक्षति का सिद्धांत दोनों बिंदुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्राईमा फैसाई केस प्रार्थी के पक्ष में तय होने से उक्त दोनों बिंदु भी प्रार्थी के पक्ष मे तय किये जाते है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख. न. 1048, 1288, 1289, 170, 182, 339, 401, 480, 954 में प्रार्थी की खातेदारी भूमि की हद तक

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	प्रा. पत्र अ. निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। शेष ख.न. 955 में जारी दिनांक 5/5/23 अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। प्रा. पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मौका व रिकॉर्ड मूल वाद के निस्तारण होने तक यथा स्थिति बनाये रखे। प्रकरण कैसल शुमार होकर मूल वाद के हमशिता हो। [signature] 02/5/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	